KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Polity BPSC –2023 By : Karan Sir

बिहार की शासन व्यवस्था

विधायिका

- राज्य की विधायिका का नाम विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद- 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का गठन किया गया है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद् (यदि विधान परिषद् हो तो) से मिलकर बनता है। बिहार राज्य में द्विसदनीय विधायिका है।
  1. विधानसभा (निम्न सदन)
  2. विधान परिषद् (उच्च सदन)

प्रावधान

- अनुच्छेद- 170, अधिकतम सदस्य- 500, न्यूनतम सदस्य- 60
- सदस्य आयु - 25 वर्ष
- विधान सभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र - उपाध्यक्ष को
- कोरम - कुल सदस्यों का 1/10 या 10 सदस्य जो भी ज्यादा हो।

बिहार विधानसभा - वर्तमान संरचना	
कुल सदस्य संख्या	243 (आरक्षित 40)
अनुसूचित जाति (आरक्षित सीटें)	38
अनुसूचित जनजाति (आरक्षित सीटें)	2 (कटोरिया व मनिहारी)
प्रथम नेता प्रतिपक्ष	एस.के.बाग
वर्तमान नेता प्रतिपक्ष	विजय कुमार सिन्हा

बिहार विधानसभा - वर्तमान संरचना	
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष (स्वतंत्रता के पूर्व)	रामदयालु सिंह
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष (स्वतंत्रता के बाद)	श्री बिन्धयेश्वरी प्रसाद वर्मा
वर्तमान अध्यक्ष	अवध बिहारी चौधरी
वर्तमान उपाध्यक्ष	महेश्वर हजारी

बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्षों की सूची		
1.	श्री रामदयालु सिंह	23.07.1937 से 11.11.1944
2.	श्री बिन्धयेश्वरी प्रसाद वर्मा	25.04.1946 से 14.03.1962
3.	श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु	15.03.1962 से 15.03.1967
4.	श्री धनिकलाल मंडल	16.03.1967 से 10.03.1969
5.	श्री राम नारायण मंडल	11.03.1969 से 20.03.1972
6.	श्री हरिनाथ मिश्र	21.03.1972 से 26.06.1977
7.	श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह	18.06.1977 से 22.06.1980
8.	श्री राधानंदन झा	24.06.1980 से 01.04.1985
9.	श्री शिवचंद्र झा	04.04.1985 से 23.01.1989
10.	श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला खां	27.03.1989 से 19.03.1990
11.	श्री गुलाम सरवर	20.03.1990 से 09.04.1995
12.	श्री देव नारायण यादव	12.04.1995 से 06.03.2000
13.	श्री सदानंद सिंह	09.03.2000 से 28.06.2005
14.	श्री उदय नारायण चौधरी	30.11.2005 से 29.11.2010, 02.12.2010 से 28.11.2015
15.	श्री विजय कुमार चौधरी	02.12.2015 से 15.11.2020
16.	श्री विजय कुमार सिन्हा	25.11.2020 से 24.08.2022
17.	अवध बिहारी चौधरी	26.08.2022 से अबतक

बिहार विधान सभा की दलगत स्थिति

(14 जुलाई 2022)

☛ 14 जुलाई 2022 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की स्थिति इस प्रकार है-

राष्ट्रीय जनता दल	79
भारतीय जनता पार्टी	77
जनता दल (यूनाइटेड)	45
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट लेनिनिस्ट) लिबरेशन)	12
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर)	4
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट)	2
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	2
निर्दलीय	1
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	1

☛ **एंग्लो-इंडियन हेतु आरक्षण समाप्त**- 104वें संविधान संशोधन के द्वारा झारखंड सहित 13 राज्य विधान सभाओं एवं लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय हेतु आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यह नियम 25 जनवरी 2020 से लागू है।

☛ **बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह**- बिहार विधानसभा की स्थापना 1921 ई. में पटना में हुई। इसके एक सौ वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक वर्ष तक चलने वाले शताब्दी समारोह को उद्घाटन वर्ष 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने किया था। इसके समापन समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा पधारे। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा परिसर में 'शताब्दी स्मृति स्तंभ' का अनावरण भी किया। बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।

विधान परिषद्

☛ बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् का गठन 7 फरवरी 1921 को किया गया। बिहार के लिए अलग विधान परिषद् का गठन वर्ष 1936 में किया गया।

☛ **स्थापना/समाप्ति**- अनुच्छेद- 169, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित कर संसद द्वारा स्थापना।

☛ **नोट**- वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें- बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना;

☛ **संरचना**- अनुच्छेद 171, संख्या- विधानसभा सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से ज्यादा नहीं तथा 40 से कम नहीं;

☛ **सदस्य**- एक तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित।

☛ एक तिहाई स्थानीय निकायों द्वारा 1/12 भाग।

☛ स्नातक निर्वाचकों द्वारा, 1/12 भाग।

☛ माध्यमिक, निर्वाचकों द्वारा, लगभग 1/6 भाग।

☛ राज्यपाल द्वारा मनोनीत एवं कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन समाज सेवा आदि क्षेत्र से।

बिहार विधानसभा - वर्तमान संरचना	
कुल सदस्यों की संख्या	75
निर्वाचित सदस्यों की संख्या	63

बिहार विधानपरिषद् - वर्तमान संरचना	
मनोनीत सदस्यों की संख्या	12
महिला सदस्यों की संख्या	7
विधान परिषद् की पहली बैठक	20 जनवरी 1913
स्वतंत्र भारत में पहली बैठक	16 फरवरी 1950
वर्तमान नेता विपक्ष	सम्राट चौधरी

प्रथम सभापति (बिहार एवं उड़ीसा)	सर वाल्टन मोड़े (1921)
प्रथम सभापति (स्वतंत्रता के पूर्व बिहार)	राजीव रंजन प्रसाद सिंह (1937-1948)
प्रथम सभापति (स्वतंत्रता के पश्चात् बिहार)	श्यामा प्रसाद सिंह (1948-1952)
प्रथम महिला सभापति	राजेश्वरी सरोज दास
वर्तमान सभापति	देवेश चंद्र ठाकुर

●●●

राज्यपाल की भूमिका

- भारत शासन अधिनियम, 1919 के तहत बिहार-उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए।
- स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टन हुए।
- स्वतंत्रता पश्चात् बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे।
- बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्जवल नारायण सिन्हा थे।
- जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविन्द बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने।

बिहार में राष्ट्रपति शासन

क्र.सं.	समय	मुख्यमंत्री	राज्यपाल
1.	29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969	भोला पासवान शास्त्री	नित्यानंद कानूनगो
2.	4 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970	भोला पासवान शास्त्री	नित्यानंद कानूनगो
3.	9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972	भोला पासवान शास्त्री	देवकांत बरूआ
4.	30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977	जगन्नाथ मिश्र	जगन्नाथ कौशल
5.	17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980	राम सुन्दर दास	ए.आर. किदवई
6.	31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995	लालू प्रसाद यादव	ए.आर.किदवई
7.	12 फरवरी 1999 से 8 मार्च 1999	श्रीमति राबड़ी देवी	सुन्दर सिंह भंडारी
8.	7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005	श्रीमती राबड़ी देवी	श्री बूटा सिंह

- बिहार में अबतक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागु हो चुका है।
- बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 (29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक) में कुल 242 दिनों के लिए लगा था।
- बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे।

मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद्

बिहार के मुख्यमंत्री

नाम	कार्यकाल
मोहम्मद युनूस	1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937
श्रीकृष्ण सिंह	20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939
श्रीकृष्ण सिंह	02 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961
राष्ट्रपति शासन	7 मार्च 2005 से 24 नवम्बर 2005
नीतीश कुमार	24 नवम्बर 2005 से 26 नवम्बर 2010
नीतीश कुमार	26 नवम्बर 2010 से 20 मई 2014
जीतन राम मांझी	20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015
नीतीश कुमार	22 फरवरी 2015 से 19 नवम्बर 2015
नीतीश कुमार	20 नवम्बर 2015 से अब तक

- ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री- मोहम्मद युनूस (1937)
- स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री- श्रीकृष्ण सिंह
- बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री- भोला पासवान शास्त्री
- बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री - महामाया प्रसाद सिन्हा
- बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री- अब्दुल गफूर
- बिहार की प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री- श्रीमती राबड़ी देवी, जो तीन बार पद पर रही।
- बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री- श्री नीतीश कुमार, व्यक्ति के स्तर पर 25वें तथा क्रम के स्तर पर 39वें,
- एकमात्र जो 8 बार मुख्यमंत्री बना।
- सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री- सतीश प्रसाद सिंह (4 दिन, 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी)। नीतीश कुमार (8 दिन, 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000, पहली बार)
- निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बीच राष्ट्रपति शासन लागू रहा- भोला पासवान शास्त्री (तीन बार), श्रीमती राबड़ी देवी (दो बार), जगन्नाथ मिश्रा, रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव।

बिहार का वर्तमान मंत्रिमंडल (16 अगस्त 2022 को गठित)	
श्री संतोश कुमार सुमन	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
श्री संजय कुमार झा	जल संसाधन, सूचना एवं जन-संपर्क
श्रीमती शीला कुमारी	परिवहन
श्री समीर कुमार महासेठ	उद्योग
श्री चन्द्रशेखर	शिक्षा
श्री सुमित कुमार सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्री सुनील कुमार	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
श्रीमती अनिता देवी	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

बिहार का वर्तमान मंत्रिमंडल (16 अगस्त 2022 को गठित)	
श्री जितेन्द्र कुमार राय	कला, संस्कृति एवं युवा
श्री जयन्त राज	लघु जल संसाधन
श्री सुधाकर सिंह	कृषि
श्री मो. जमा खान	अल्पसंख्यक कल्याण
श्री मुरारी प्रसाद गौतम	पंचायती राज
श्री शमीम अहमद	विधि
श्री कार्तिक कुमार	गन्ना उद्योग
श्री शाहनवाज	आपदा प्रबंधन
श्री सुरेन्द्र राम	श्रम संसाधन
मोहम्मद इसराईल मंसूरी	सूचना प्रौद्योगिकी

बिहार में न्यायपालिका

पटना उच्च न्यायालय

- पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 (खंडपीठ कटक) को भारत सरकार अधिनियम, 1909 के अंतर्गत हुई थी। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है।
- ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर (1916-17) थे।
- स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर क्लिफॉर्ड मनमोहन अग्रवाल थे।
- वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन हैं।
- उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं।

बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	
सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर	1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917
सर आर्थर ट्रेवर हैरिस	10 अक्टूबर 1928 से 19 जनवरी 1943
सर सैयद फजल अली	19 जनवरी 1943 से 14 अक्टूबर 1946
सर क्लिपर्ड मनमोहन अग्रवाल	9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950
सर हर्बर्ट रिब्टन मेयरडीथ	25 जनवरी 1950 से 8 अप्रैल 1950
लक्ष्मीकांत झा	8 अप्रैल 1950 से 1 जून 1952

बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	
अमरेश्वर प्रताप शाही	17 नवम्बर 2018 से 10 नवम्बर 2019
संजय करोल	11 नवम्बर 2019 से 5 फरवरी 2023
के. विनोद चंद्रन	29 मार्च 2023 से अब तक

बिहार सिविल कोर्ट बिल, 2021

- वर्ष 1887 में ब्रिटिश शासन काल में बनाये गए बंगाल, आगरा और असम सिविल कोर्ट एक्ट को 134 वर्षों के बाद बिहार सिविल न्यायालय विधेयक- 2021 में परिवर्तन करने के बाद 18 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा द्वारा उसे पारित कर दिया गया। बिहार सरकार द्वारा सिविल कोर्ट के संचालन और प्रबंधन से संबंधित अपना कानून बनाने का ये पहला प्रयास है।
- यह कानून जिला न्यायालय, अपर जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) और सिविल न्यायालय (जूनियर डिविजन) राज्य में स्थित सभी चार प्रकार के न्यायालयों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार समय-समय पर जिला और सिविल जजों की संख्या का निर्धारण कर सकती है।
- इस नये कानून में पाँच लाख रुपये तक के मामले की सुनवाई सिविल न्यायालय (जूनियर डिविजन) कर सकेगा और इससे Åij ₹ 50 लाख तक के सभी मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय (सीनियर डिविजन) में होगी। सभी सिविल न्यायालयों का नियंत्रण जिला स्तरीय न्यायालयों और सभी जिला न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय के द्वारा होगा।

बिहार में पंचायती राजव्यवस्था का विकास

- वर्ष 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ ही बिहार में बिहार ग्राम पंचायत राज अधिनियम का गठन हुआ।
- तदोपरान्त बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 आया जिसके तहत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन हुआ।
- संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को अमल में लाने के उद्देश्य से 'बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993' आया जिसके अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की व्यवस्था की गई।

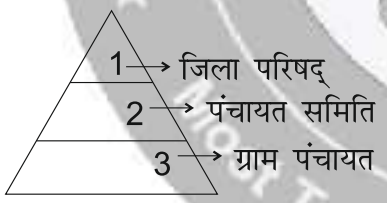

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006

- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक समुदाय केन्द्रित एवं सशक्त बनाने की कोशिश की गई।
- महिलाओं के लिए सभी स्तरों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर 50 प्रतिशत का आरक्षण।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण।
- पिछड़े वर्ग को सभी तीनों स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

ग्राम पंचायत

- ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है, जिसे जनता के आमने-सामने होकर जवाब देना पड़ता है।
- मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन होता है।
- प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यत: 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से की जाती है। पंचायत सदस्य बनने हेतु सामान्यत: न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये।
- बिहार में प्रत्येक 500 की आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।
- बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यत: छ: अंग होते हैं, जैसे- ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ग्राम सेवक।

ग्राम सभा

- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। यह पंचायती राज की बुनियादी तथा सबसे बड़ी सभा है, जिसके सदस्य गाँव के सभी मतदाता होते हैं। इसकी सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिये। यह एक स्थायी सभा है। ग्रामसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- जिस गांव की जनसंख्या 250 हो वहाँ 'ग्रामसभा' का गठन किया जा सकता है।
- ग्रामसभा का प्रधान मुखिया कहलाता है, जो सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है।
- बिहार में ग्राम सभा की एक वर्ष में चार बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक ग्रामसभा में एक निगरानी समिति का गठन होता है, जो स्थानीय प्रशासनिक कार्यों के आकलन एवं देख-रेख का कार्य करती है।

कार्यकारिणी

- ग्रामसभा की कार्यकारिणी का गठन ग्राम प्रधान (मुखिया) की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी के 4 सदस्य ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 4 को प्रधान मनोनित करता है। 8 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उप-प्रधान (उप-मुखिया) चुना जाता है।

ग्राम रक्षा दल

- गाँव की पुलिस व्यवस्था, गाँव की रक्षा एवं शांति का उत्तरदायित्व, इस दल में सम्मिलित युवक की उम्र 18-30 वर्ष होनी चाहिए।
- इसके प्रमुख दलपति कहलाते हैं तथा इसके नियुक्ति मुखिया के द्वारा होती है।

ग्राम कचहरी

- ग्राम पंचायत के अदालत, प्रमुख-सरपंच।

पंचायत समिति

- इसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है।
- प्रत्येक पांच हजार की जनसंख्या पर पंचायत समिति के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। इन सदस्यों के अलावा उप-प्रखंड के ग्राम पंचायत के मुखिया एवं लोकसभा के सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं।

जिला परिषद्

- बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद् है। जिला परिषद् मूलत: ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है।
- जिले के सभी ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाए रखने का कार्य जिला परिषद् करती है।
- इस परिषद् के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक पचास हजार की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है।

जन प्रतिनिधि	निर्वाचन	त्यागपत्र
मुखिया	प्रत्यक्ष	जिला पंचायती राज पदाधिकारी
उप-मुखिया	अप्रत्यक्ष	जिला पंचायती राज पदाधिकारी
वार्ड सदस्य	प्रत्यक्ष	मुखिया
प्रमुख	अप्रत्यक्ष	अनुमंडल दंडाधिकारी
उप-प्रमुख	अप्रत्यक्ष	प्रमुख
पंचायत समिति सदस्य	प्रत्यक्ष	प्रमुख
जिला परिषद् अध्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जिला दंडाधिकारी
जिला परिषद् उपाध्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जिला परिषद् अध्यक्ष
जिला परिषद् सदस्य	प्रत्यक्ष	जिला परिषद् अध्यक्ष
सरपंच	प्रत्यक्ष	जिला पंचायती राज पदाधिकारी
उप-सरपंच	अप्रत्यक्ष	जिला पंचायती राज पदाधिकारी
पंच	प्रत्यक्ष	सरपंच

बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ

विवरण	संख्या
जिला परिषद	38
जिला पंचायती राज अधिकारी	38
पंचायत समिति	534
प्रखंड पंचायती राज अधिकारी	534
ग्राम पंचायत	8406
ग्राम पंचायत सचिव	8474
ग्राम पंचायत सदस्य	115876
पंचायत समिति सदस्य	11094
जिला परिषद् सदस्य	1160
न्याय मित्र	8463

बिहार पंचायत चुनाव, 2021

- 24 सितम्बर को पहला और 12 दिसम्बर को अंतिम चरण का मतदान हुआ था।
- बिहार में सभी 11 चरणों में 61.13 प्रतिशत मतदान हुआ।
- पंचायत चुनाव के दसवें चरण में सर्वाधिक 65.44 प्रतिशत जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.02 प्रतिशत मतदान हुआ।
- बिहार का एकमात्र प्रखंड जहां की सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनीं- सरमेरा प्रखंड (नालंदा जिला)।
- 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी।
- इसा पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 58% महिला उम्मीदवार चुनी गई हैं। यह रिकॉर्ड भारत में प्रथम है।
- बिहार में पंचायत चुनाव (2001, 2006, 2011, 2016, 2021)

बिहार में नगरीय स्वशासन

- सामान्यत: तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का होना सुनिश्चित किया गया है- 1. नगर निगम, 2. नगर परिषद्, 3. नगर पंचायत बिहार सरकार ने नगर निगम, नगररिषद् और नगर पंचायत के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, लागू किया था।
- बिहार में 19 नगर निगम, 49 नगर परिषदें, 81 नगर पंचायतें हैं। बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर स्थानीय नगर निकायों के कामकाज का समन्वय करता है।

नगर निगम

- नगर निगम राज्य के उन्हीं नगरों में स्थापित किए गए हैं, जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से कम किन्तु 10 लाख से ऊपर हो।
- नगर निगम की संरचना निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है। निर्वाचित सदस्य अपने बीच से एक महापौर (मेयर) एवं एक उप-महापौर (डिप्टी मेयर) को चुनतें है। महापौर शहर का प्रथम व्यक्ति है।
- वर्तमान में 'बिहार नगर निगम बिल- 2007' के अनुसार पटना नगर निगम के मेयर का कार्यकाल पाँच वर्षों का है।
- नगरपालिका में समान प्रतिनिधित्व के लिए नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है।
- बिहार में सर्वप्रथम पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1951 के तहत हुई थी। पटना नगर निगम का गठन निगम परिषद्, निगम समितियाँ तथा प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी को मिलाकर हुआ था। पटना नगर निगम का क्षेत्रफल 109.218 वर्ग किमी. है। वर्तमान में पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 75 है। इसका आय का स्रोत विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क एवं सरकारी अनुदान हैं।

बिहार के नगर निगम

क्र.सं.	नगर निगम का नाम	जिला
1.	पटना नगर निगम	पटना
2.	बिहार शरीफ नगर निगम	नालंदा
3.	आरा नगर निगम	भोजपुर
4.	गया नगर निगम	गया
5.	भागलपुर नगर निगम	भागलपुर
6.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	मुजफ्फरपुर
7.	दरभंगा नगर निगम	दरभंग
8.	मुंगेर नगर निगम	मुंगेर
9.	बेगूसराय नगर निगम	बेगूसराय
10.	पूर्णिया नगर निगम	पूर्णिया
11.	कटिहार नगर निगम	कटिहार
12.	छपरा नगर निगम	सारण
13.	बेतिया नगर निगम	पं. चंपारण
14.	मधुबनी नगर निगम	मधुबनी
15.	मोतिहारी नगर निगम	पूर्वी चंपारण
16.	समस्तीपुर नगर निगम	समस्तीपुर
17.	सासाराम नगर निगम	रोहतास
18.	सीतामढ़ी नगर निगम	सीतामढ़ी
19.	सहरसा नगर निगम	सहरसा

नगर परिषद्

- बिहार में 89 नगर परिषदें हैं।

नगर पंचायत

- बिहार में 154 नगर पंचायतें हैं।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली, 2022

- मेयर, डिप्टी-मेयर, मुख्य पार्षद और उप-मुख्य पार्षद का चुनाव अब सीधे जनता द्वारा किया जाएगा।
- इसके लिए राज्य सरकार ने 'बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022' के प्रारूप को 18 अप्रैल 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी।
- नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 23 और धारा- 25 में संशोधन किया गया है।
- संशोधन का प्रभाव राज्य के 19 नगर निगमों के साथ 263 नगर निकायों पर पड़ेगा।
- नगर निकायों में महापौर वार्ड पार्षदों के बीच से ही चुने जाते थे।
- वार्ड पार्षदों के बहुमत से ही हटाए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इन पदों पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु, पदत्याग या बर्खास्तगी की स्थिति में बची हुई अवधि के लिए जनता के बीच से निर्वाचित व्यक्ति ही इन पदों को ग्रहण करेंगे।
- वार्ड पार्षद महापौर-उपमहापौर या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बहुमत के आधार पर पद से हटा भी नहीं सकेंगे।

बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था

- बिहार राज्य का उदय 1912 ई. में हुआ था। उसके बाद से राज्य में स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था स्थापित की गई।
- 1936 में उड़ीसा और 2000 में झारखंड के विभाजन के बाद वर्तमान बिहार की प्रशासनिक रूपरेखा नई तरह से स्थापित हुई
- वर्तमान में बिहार सचिवालय में 44 विभाग हैं।
- सभी विभागों का कार्य राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्री अपने विभाग का प्रधान होता है।
- मंत्री के लिए एक सरकारी और एक गैर-सरकारी सचिव रखे जाते हैं। मंत्री के अन्य सहायकों में निजी सहायक और टाइपिस्ट शामिल होते हैं।
- सचिव के अलावा, उसके सहायकों में विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव और निबंधक होते हैं।
- विभागों में पद वृद्धि वित्त विभाग की सहमति से होती है।
- राज्य में सभी विभागों के कार्यों का अध्ययन और निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय होता है।
- सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी को प्रमुख बनाया जाता है। सचिवालय के अधीनस्थ सहायक उप सचिव, अपर सचिव और अन्य सचिव होते हैं।
- मुख्य सचिव को लोक सेवाओं का अध्यक्ष कहा जाता है।
- मुख्य सचिव सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने का केंद्रबिंदु होता है।.
- मंत्रिपरिषद् का मुख्य सलाहकार होने के साथ-साथ मुख्य सचिव सरकारी तंत्र का भी प्रधान होता है।
- मुख्य सचिव अन्य विभागों के सचिवों की संलेख सूचियाँ मुख्यमंत्री को पेश करता है।
- जनसंपर्क अधिकारी की प्रमुख भूमिका में मुख्य सचिव, केंद्र व अन्य राज्यों की सरकारों के साथ अपने राज्य की सरकार की वार्ता का सेतु बनता है। बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं और हर जिले में जिलाधिकारी प्रशासन का प्रमुख होता है।
- जिलाधिकारी की जिम्मेदारी कई पदरूपों में होती है, जैसे वह जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं, और संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जलसंरचना जैसे- क्षेत्रों में कार्य को नियंत्रित करते हैं।
- राज्य में सरकारी नीतियों, नियमों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन को पांच स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है।
- पांच स्तरों पर वर्गीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, प्रखंड स्तरीय प्रशासन और ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशासन शामिल हैं।
- प्रमंडलीय प्रशासन सबसे ऊपरी स्तर होता है, जो कुछ जिलों को एक साथ शामिल करता है।
- जिला प्रशासन द्वारा एक जिले को संचालित किया जाता है और जिलाधिकारी इसका प्रमुख होता है।
- अनुमंडल प्रशासन एक छोटा एवं प्रभावशाली प्रशासन होता है, जिसका प्रमुख अनुमंडल (एस. डी. एम.) होता है।

सचिवालय के मुख्य कार्य

- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् को सचिवीय सहायता देना ।
- वांछित सूचनाओं को राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्राप्त कर, उन्हें अधिकृत रूप से अग्रसारित करना ।
- विभागीय नीतियों के प्रस्ताव और क्रियान्वयन में परामर्श देना ।
- अत्यंत आवश्यक अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना
- राज्यपाल के संदेशों और अभिभाषणों को तैयार करना ।
- विभागीय मंत्रियों के प्रस्तावों पर निर्णय संबंधी कार्रवाई करना ।
- वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय बजट तैयार करना ।
- वित्त संकट के समय आनेवाले सुझावों एवं समाधानों पर परामर्श देना।
- वेतन, नियुक्ति और पदोन्नति के नियम बनाना। स्थानांतरण एवं पदस्थापन आदि के बारे में कार्रवाई करना ।
- विभागीय क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट बनाना आदि।

मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव सचिवालय का अध्यक्ष होता है, और सभी विभागों को नियंत्रित करता है।
- मुख्य सचिव प्रशासन व्यवस्था का नेतृत्व करता है।
- मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है।
- मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सद्स्य भी होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए तैयारी करता है, उन्हें संचालित करता है, और इनकी सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है।
- मुख्य सचिव समस्त विभागों की जांच और नियंत्रण की जिम्मेदारी उठाता है।
- राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों पर मुख्य सचिव का नियंत्रण होता है।

मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य

- वह मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं, जो उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर विस्तृत प्रशासनिक टिप्पणियाँ तैयार करते हैं, और उन्हें एक सुगठित कार्य योजना में समन्वित करते हैं।
- मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सचिव होते हैं, इसलिए वह मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करते हैं।
- वह बैठकों का आयोजन करता हैं, बैठकों का रिकॉर्ड रखता हैं, मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता हैं, और मंत्रिमंडलीय समितियों की मदद करता हैं।
- मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होते हुए लोक सेवकों के तबादलों और तैनाती का निर्णय लेते हैं।
- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय विभागों का मुख्य समन्वयकर्ता होते हुए विभिन्न विभागों के बीच सहयोग तथा समन्वय स्थापित करने के लिए उपाय करते हैं।
- मुख्य सचिव समितियों की अध्यक्षता करते हैं, और अन्य समितियों के सदस्य होते हुए सभी मामलों की देखरेख करते हैं, जो अन्य सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

प्रमंडलीय प्रशासन

- राज्य में नौ प्रमंडल हैं, जिनके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं।
- प्रमंडलीय आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभवी अधिकारी होते हैं।
- आयुक्त की जिम्मेदारियों में जिलाधिकारियों के विधि-विकास कार्यों की पर्यवेक्षा, न्यायालयों के कार्य आदि शामिल होते हैं।
- आयुक्त के सहायक अधिकारी अपर जिला दंडाधिकारी, एक उप- निदेशक (खाद्य), एक उप-निदेशक (पंचायती राज) और अपर जिला दंडाधिकारी (फ्लाइंग स्कॉड) होते हैं।
- **बिहार में नौ प्रमंडल हैं**- 1. मगध 2. पटना 3. मुंगेर 4. भागलपुर 5. सारण 6. पूर्णिया 7 तिरहुत 8. कोशी 9. दरभंगा।

जिला प्रशासन

- जिले में जिलाधिकारी प्रशासन का प्रमुख होता है, और वह विभिन्न पदों में कार्यभार संभालता हैं।
- जिलाधिकारी के प्रमुख कार्यों में भू-राजस्व वसूली, कैनाल और अन्य शुल्कों की वसूली, राजकीय ऋणों की वसूली और राष्ट्रीय विपदाओं का मूल्यांकन और सहायता कार्य शामिल होते हैं।
- जिलाधिकारी का कार्य स्टांप एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, सामान्य और विशेष भूमि अर्जन, जमींदारी बॉण्ड्स के भुगतान, भू-अभिलेखों का संचित रखरखाव, भूमि पंजीकरण का कार्य और सांख्यिकी संबंधी रिकॉर्ड रखना भी उनके प्रमुख कार्य में शामिल हैं।

जिलाधिकारी के रूप में प्रमुख कार्य

- राज्य सरकार के आदेशों का क्रियान्वयन करना
- जिला कोषागार का प्रबंध करना
- प्रशासनिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना
- चरित्र प्रमाण पत्र एवं नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत करना
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, सैनिकों और भूमिहीनों के लिए भूमि बंदोबस्त संबंधी कार्य करना
- जिला समाहरणालय में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना
- कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निष्पादन करना
- जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता और नियमित बैठकों का आयोजन करना
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के जिला भ्रमण दौरों पर सुरक्षा प्रबंध करना
- केंद्र अथवा राज्य के मंत्रियों के जिले में आगमन पर सुरक्षा प्रबंध करना
- जिला स्तर के सभी अधिकारियों पर बजट नियंत्रण रखना
- सामान्य नागरिकों की शिकायतों को सुनकर उन पर आवश्यक कार्रवाई करना, जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शिक्षा पदाधिकारियों का निरीक्षण करना, जिले में मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के संबंध में निगरानी करना, ये सभी अनुमंडल / प्रखंड / ग्रामीण स्तर के मुख्य कार्य हैं।

जिलाधिकारी का दंडाधिकारी के रूप में प्रमुख कार्य

- पर्व, त्योहार और विशेष व्यक्ति की सुरक्षा में दंडाधिकारी की तैनाती करना
- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगो को प्रमाण-पत्र देना।
- अशांति, हिंसा और दंगों की स्थिति में सेना का प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च कराना
- बिगड़ती न्याय व्यवस्था के नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाना, कर्फ्यू लगाना आदि
- अधीनस्थ कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना

- जेलों का औचक अथवा पूर्व निरीक्षण करना .
- बंदियों को व्यवहार के आधार पर श्रेणी देना अथवा पेरोल पर छोड़ना
- अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपना
- जिलो के अंतर्गत सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करना
- आपदा, दुर्घटना, उग्रवादी गतिविधियों में पीड़ितों को मुआवजा देना
- जिला स्तर के विभिन्न चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना
- जनगणना संबंधी कार्य पूर्ण कराना आदि।
- जिलाधिकारी का प्रमुख दायित्व है कि वह पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, वन विभाग के वन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहकारी विभाग के सहायक निबंधक, कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी, खनन विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी, चिकित्सा विभाग के सिविल सर्जन, निबंधन विभाग के सहायक निबंधक, उद्योग विभाग के जिला उद्योग पदाधिकारी, उत्पाद विभाग के अधीक्षक और आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय करे ।
- जिलाधिकारी जिले का प्रमुख होता है, जो अपनी पूर्ण क्षमता और अधिकारों के साथ जिले के नागरिकों और राज्य सरकार के बीच संवाद का कार्य करता है, तथा सुविधा- सेतु उपलब्ध कराने का भी जिम्मा उठाता है।
- बिहार में 38 जिले हैं- 1. गया 2. औरंगाबाद 3 नवादा 4. जहानाबाद 5. अरवल 6. पटना 7. नवादा 8. भोजपुर 9. बक्सर 10. रोहतास 11. कैमूर 12. मुंगेर 13. बेगुसराय 14. शेखपुरा 15. लखीसराय 16. जमुई 17. खगड़िया 18. भागलपुर 19. बांका 20. सारण 21. सीवान 22. गोपालगंज 23. पूर्णिया 24. अररिया 25. किशनगंज 26. कटिहार 27. मुजफ्फरपुर 28 सीतामढ़ी 29. शिवहर 30. वैशाली 31. पूर्वी चम्पारण 32. पश्चिमी चम्पारण 33. सहरसा 34 सुपौल 35. मधेपुरा 36. दरभंगा 37. मधुबनी 38 समस्तीपुर

अनुमंडल प्रशासन

- बिहार में 101 अनुमंडल है, जिनके अंतर्गत क्षेत्रीय प्रशासन आता है।
- अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी अनुमंडल अधिकारी (एस.डी.एम.) होता है।
- यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है।
- बिहार के अनुमंडल प्रशासन में दोनों प्रकार के पदाधिकारी हैं। ये पदाधिकारी भी अपने क्षेत्र में जिलाधिकारी की भाँति ही कई भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं।
- इनकी मुख्य भूमिका राजस्व, कानून और न्याय से संबंधित कार्यों में होती है। वे विकास से संबंधित योजनाओं के निगरानी और क्रियान्वयन का भी काम करते हैं।
- ये पदाधिकारी कृषि और भूमि से संबंधित राजस्व वसूलने के लिए जिम्मेदार होते हैं और अंचलाधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का काम भी करते हैं।
- पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियंत्रण और आदेश जारी करता है।
- क्षेत्र में शस्त्र आवेदनों पर सलाह देते हुए शस्त्रों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, साथ ही क्षेत्र में आने वाले जिला/राज्य/केंद्र के विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाती है।
- वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड है।
- जिला प्रशासन के बाद प्रखंड प्रशासन होता है, जिसमें अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी इत्यादि पदनामित पदाधिकारी होते हैं।
- अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड प्रशासन में प्रमुख कार्य संबंधी पद होते है।

अंचलाधिकारी एवं उसके कार्य

- अंचलाधिकारी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा या अन्य सेवाओं से प्रमोट हुए पदाधिकारी को दिया जाता है।
- इसके अंतर्गत भू-राजस्व, भू-अभिलेख, विधि व्यवस्था का संचालन, चुनाव, जनगणना, कृषि सांख्यिकी, आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र जारी करना, पर्व-त्योहारों में शांति व्यवस्था, सौहार्द बनाने और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना, राज्य में आदिवासियों के भूमि संबंधी अधिकारों की सुरक्षा करना, समाज कल्याण के सभी कार्यों का संचालन करना, आपदा दुर्घटना, दंगा पीड़ित लोगों के मुआवजे का आकलन और मुआवजा देने का कार्य आदि अंचलाधिकारी के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम लक्ष्यों में शामिल हैं।

प्रखंड विकास अधिकारी एवं उसके कार्य

- प्रखंड के विकास के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा राज्य कृषि सेवा के अधिकारियों को सौंपा जाने वाला पद है।
- यह अधिकारी प्रखंड के सभी विभागों के अधिकारियों के बीच सहयोगी और समन्वयक की भूमिका निभाता है।
- भारत सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना, स्वरोजगार से संबंधित आवेदनों का समीक्षण करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करना इस का मुख्य कार्य है।

बिहार के प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल		
क्र.सं.	**प्रमंडल**	**जिला**
1.	पटना	पटना
		नालंदा
		रोहतास
		भभुआ (कैमूर)
		भोजपुर (आरा)
		बक्सर
2.	मगध	गया
		जहानाबाद
		अरवल
		नवादा
		औरंगाबाद
3.	सारण (छपरा)	सारण (छपरा)
		सीवान
		गोपालगंज
4.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
		सीताबढ़ी
		शिवहर
		पं.चंपारण (बेतिया)
		पू.चांपारण
		वैशाली
5.	दरभगा	दरभगा
		मधुबनी
		समस्तीपुर
6.	कोसी (सहरसा)	सहरसा
		सुपौल
		मधेपुरा
7.	पूर्णिया	पूर्णिया
		अररिया
		किशनगंज
		कटिहार
8.	भागलपुर	भागलपुर
		बाँका
9.	मुंगेर	मुंगेर
		लखीसराय
		जमुई
		खगड़िया
		शेखपुरा
		बेगूसराय

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होती है-
   (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल
   (c) मंत्रिपरिषद् (d) उपरोक्त सभी
2. राज्य के मंत्रिपरिषद् सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है?
   (a) विधानसभा (b) मुख्यमंत्री
   (c) राज्यपाल (d) उपर्युक्त में से एक से अधिक
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है-
   (a) राज्यपाल में (b) मुख्यमंत्री में
   (c) मंत्रीपरिषद् में (d) उपर्युक्त में कोई नहीं
4. राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है-
   (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल
   (c) मंत्री (d) उपर्युक्त में कोई नहीं
5. राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
   (a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
   (c) भारत के गृहमंत्री (d) राज्य के मुख्यमंत्री
6. राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अहर्ता है-
   (a) वह भारत का नागरिक हो
   (b) पैतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
   (c) वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो
   (d) उपर्युक्त सभी
7. राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त हैं-
   (a) प्रधानमंत्री को (b) राष्ट्रपति को
   (c) भारत के गृहमंत्री का (d) राज्य के मुख्यमंत्री को
8. राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है ?
   (a) राज्य की महाधिवक्ता
   (b) अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की
   (c) राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष तथा सदस्यों की
   (d) उपर्युक्त सभी को
9. राज्य के राज्यपाल के सम्बन्ध में कौन-सी कथन गलत है ?
   (a) राज्यपाल सामान्यत: पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है।
   (b) राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है।
   (c) राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
   (d) राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है
10. राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है ?
    (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल
    (c) मंत्रीपरिषद् (d) मुख्य सचिव
11. राज्य के मंत्री परिषद् के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है ?
    (a) मुख्यमंत्री (b) राज्यपाल
    (c) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    (d) प्रधानमंत्री
12. राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है-
    (a) मुख्यमंत्री
    (b) राष्ट्रपति
    (c) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    (d) प्रधानमंत्री
13. मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है ?
    (a) प्रधानमंत्री को
    (b) विधानसभा के अध्यक्ष को
    (c) राज्यपाल को
    (d) राष्ट्रपति को
14. राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है-
    (a) राष्ट्रपति को (b) प्रधानमंत्री को
    (c) देश के गृहमंत्री को (d) मुख्यमंत्री को
15. राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं-
    (a) राज्यपाल (b) विधानपरिषद्
    (c) विधानसभा (d) उपर्युक्त सभी
16. बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है-
    (a) राज्यपाल (b) विधान परिषद्
    (c) विधानसभा (d) उपर्युक्त सभी
17. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है ?
    (a) 167 (b) 168
    (c) 169 (d) 170
18. राज्य की विधानसभा की अवधि होती है-
    (a) 5 वर्ष का (b) 6 वर्ष का
    (c) 4 वर्ष का (d) 3 वर्ष का
19. राज्य की विधानपरिषद् की अवधि कितने वर्षों का होता है ?
    (a) 6 वर्ष (b) 5 वर्ष
    (c) 4 वर्ष (d) इसका विघटन नहीं होता है
20. वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम-से-कम-
    (a) 25 वर्ष हो (b) 30 वर्ष हो
    (c) 18 वर्ष हो (d) 21 वर्ष हो
21. वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद् का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम-से-कम-
    (a) 25 वर्ष हो (b) 30 वर्ष हो
    (c) 35 वर्ष हो (d) 21 वर्ष हो
22. कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है-
    (a) राज्यपाल (b) राज्य विधानसभा के अध्यक्ष
    (c) राज्य विधानपरिषद् के अध्यक्ष
    (d) मुख्यमंत्री
23. बिहार विधानपरिषद् में सदस्यों की संख्या है-
    (a) 103 (b) 75
    (c) 36 (d) 78

24. निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद् है?
(a) केरल (b) हिमाचल प्रदेश
(c) दिल्ली (d) बिहार

25. किसी राज्य में विधान परिषद् को संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है-
(a) उस राज्य की विधानसभा द्वारा
(b) संसद द्वारा
(c) संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर
(d) राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा की अनुशंसा पर

26. बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटे आरक्षित हैं ?
(a) 5 (b) 6
(c) 1 (d) 2

27. बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं ?
(a) 38 (b) 40
(c) 35 (d) 43

28. बिहार विधान सभा के नवनिर्मित भवन में कब पहली बैठक हुई।
(a) 19 जनवरी 1920 (b) 7 फरवरी, 1921
(c) 8 जुलाई, 1922 (d) 15 अगस्त, 1950

29. बिहार विधान परिषद् की प्रथम बैठक कब हुई थी ?
(a) 7 फरवरी, 1921 (b) 8 जुलाई, 1913
(c) 20 जनवरी, 1913 (d) 9 अगस्त, 1912

30. बिहार विधान परिषद् में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने संबंधी विधेयक कब पारित हुआ ?
(a) 21 फरवरी, 1913 (b) 21 फरवरी, 1922
(c) 19 फरवरी, 1914 (d) 22 नवम्बर, 1921

31. बिहार विधान परिषद् में 75 सीटें है, जिसकी संरचना है-
(a) बिहार विधान परिषद् में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य
(b) 30 बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक स्नातक क्षेत्र से 6 शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से, 21 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 मनोनीत सदस्य
(c) 27 सदस्य बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 22 स्थानीय प्राधिकार से और 12 मनेनीत सदस्य
(d) इनमें से कोई नहीं

32. पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई-
(a) 9 फरवरी 1916 को (b) 9 फरवरी 1917 को
(c) 19 फरवरी 1917 को (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

33. पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है-
(a) भागलपुर (b) मुजफ्फरपुर
(c) गया (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

34. राज्य के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में कौन-सा कथन सही है?
(a) उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा सम्बन्धी मामले आते हैं
(b) अपील क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मूलरूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है।
(c) प्रशासकीय क्षेत्रधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है
(d) उपर्युक्त सभी

35. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है-
(a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
(c) प्रधानमंत्री (d) मुख्यमंत्री

36. राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है-
(a) 62 वर्ष (b) 60 वर्ष
(c) 58 वर्ष (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

37. राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है-
(a) महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)
(b) महान्यायवादी
(c) राज्यपाल
(d) राज्य का विधि मंत्री

38. राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है-
(a) राष्ट्रपति (b) राज्यपाल
(c) मुख्यमंत्री (d) राज्य का विधि मंत्री

39. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है ?
(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
(c) राज्यपाल (d) मुख्यमंत्री

40. राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है ?
(a) 60 वर्ष (b) 62 वर्ष
(c) 65 वर्ष (d) इनमें से कोई नहीं

41. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है ?
(a) राष्ट्रपति (b) प्रधानमंत्री
(c) राज्यपाल (d) मुख्यमंत्री

42. बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी ?
(a) 1 अप्रैल 1949 (b) 1 अप्रैल 1950
(c) 1 अप्रैल 1952 (d) 1 जून 1950

43. बिहार में पंचायती राजव्यवस्था
(a) त्रिस्तरीय (b) पांचस्तरीय
(c) एक स्तरीय (d) दो स्तरीय

44. बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसके सम्बन्ध में कौन-सा कथन सही है।
(a) सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गाँव की स्तर की होगी
(b) मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखण्ड स्तर पर होगा
(c) सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया जाएगा
(d) उपर्युक्त सभी

45. बिहार में ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में कौन-सा कथन सही है?
(a) ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा
(b) प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है
(c) ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा
(d) उपर्युक्त सभी

46. बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखण्ड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा-
(a) 5,000 की आबादी पर (b) 3,000 की आबादी पर
(c) 7,000 की आबादी पर (d) 4,000 की आबादी पर

47. बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया गया है। जिला परिषद् के एक सदस्य का चुनाव कितने की आबादी पर होगा ?
(a) 50,000 (b) 30,000
(c) 70,000 (d) 25,000

48. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है ?
(a) 33% (b) 50%
(c) 35% (d) 40%

49. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग (O.B.C) को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है
(a) 33% (b) 20%
(c) 27% (d) 25%

50. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से सम्बन्धित कौन सा कथन सही है ?
(a) इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन
(b) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007
(c) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन एवं सेवाशर्त) 2007
(d) उपर्युक्त सभी

51. वर्ष 2021 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में सम्पन्न हुआ ?
(a) 4 (b) 11
(c) 7 (d) 10

52. बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया ?
(a) केंद्र सरकार (b) चुनाव आयोग
(c) राज्य सरकार (d) उच्च न्यायालय

53. ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ?
(a) सम्बद्ध पंचायत का सरपंच
(b) संबद्ध पंचायत का मुखिय
(c) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
(d) इनमें से कोई नहीं

54. ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है ?
(a) जिला पंचायत पदाधिकारी को
(b) जिलाधिकारी को
(c) प्रखण्ड प्रमुख को (d) ग्राम पंचायत के मुखिया

55. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन-सा कथन गलत है ?
(a) ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी
(b) ग्राम पंचायत की बैठक दो माह में कम-से-कम एक बार होगी
(c) मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के या लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों की भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा
(d) मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।

56. मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(a) जिलाधिकारी (b) जिला परिषद् के अध्यक्ष
(c) जिला पंचायत पदाधिकारी (d) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

57. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है ?
(a) 30 दिन (b) 60 दिन
(c) तीन महीने (d) चार महीने

58. पंचायत समिति के संबंध में कौन-सा कथन गलत है ?
(a) प्रत्येक प्रखण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी।
(b) पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पाँच वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं
(c) पंचायत समिति दो माह में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी
(d) सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है

59. जिला परिषद् के संबंध में कौन-सा कथन गलत है ?
(a) जिला परिषद् की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पाँच वर्षों तक की होगी इससे अधिक नहीं

(b) जिला परिषद् की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार होगा
(c) जिला परिषद् के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता है
(d) जिला परिषद् का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है

60. जिला परिषद् अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है ?
(a) जिला दंडाधिकारी को (b) पंचायती राज मंत्री को
(c) जिला परिषद् उपाध्यक्ष को (d) राज्यपाल को

61. ग्राम कचहरी के संबंध कौन से तथ्य सही है ?
(a) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा
(b) सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा
(c) ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से पाँच वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी
(d) उपरोक्त सभी

62. सरपंच और उप-सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है ?
(a) जिलाधिकारी को
(b) जिला पंचायत पदाधिकारी को
(c) मुखिया को
(d) जिला परिषद् के अध्यक्ष को

63. अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणिपूर्ति क्या होनी चाहिए ?
(a) पाँच (b) सात
(c) तीन (d) नौ

64. जिला योजना समिति का सभापति होता है-
(a) जिला परिषद् का अध्यक्ष
(b) जिलाधिकारी
(c) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
(d) जिला पंचायत पदाधिकारी

65. बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया ?
(a) 26 जून 1968 को (b) 4 जुलाई 1969 को
(c) 26 जून 1972 को (d) 9 जुलाई 1972 को

66. बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे-
(a) आर० आर० दिवाकर (b) नित्यानंद कानूनगो
(c) देवकांत बरुआ (d) जगन्नाथ कौशल

67. बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ?
(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

68. बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ?
(a) 23 मई 2005 (b) 7 मई 2005
(c) 23 मार्च 2005 (d) 7 मार्च 2005

69. बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था । उस समय बिहार के राज्यपाल थे-
(a) आर० एस० गवई (b) गोपाल कृष्ण गाँधी
(c) श्री बूटा सिंह (d) श्री रामा जोयस

70. बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ?
(a) 1969 में पंद्रह दिनों के लिए
(b) 1998 में छः दिनों के लिए
(c) 1995 में 7 दिनों के लिए
(d) 1999 में 1 माह के लिए

71. बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया-
(a) राज्यपाल द्वारा (b) प्रधानमंत्री द्वारा
(c) भारत के राष्ट्रपति द्वारा (d) भारत के गृहमंत्री द्वारा

72. बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी ?
(a) 18 महीना 17 दिन (b) 9 माह 17 दिन
(c) 8 माह 21 दिन (d) 8 माह 17 दिन

73. बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है-
(a) 45 (b) 54
(c) 43 (d) 40

74. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी है-
(a) भाजपा (b) राष्ट्रीय जनता दल
(c) जनता दल यूनाइटेड (d) लोक जनशक्ति पार्टी

75. बिहार में लोक सभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुए
(a) 5 (b) 8
(c) 6 (d) 7

76. बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवम्बर 2020 में चुनाव हुए ?
(a) 17 वीं (b) 15 वीं
(c) 14 वीं (d) 16 वीं

77. अक्टूबर-नवम्बर 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ ?
(a) दो (b) तीन
(c) पाँच (d) छः

78. वर्ष 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है ?
(a) 26 (b) 43
(c) 25 (d) 41

79. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग, N.D.A) में कौन-कौन-से दल थे?
(a) भाजपा, समतापार्टी, जनतादल यूनाइटेड
(b) जनता दल यूनाइटेड, भाजपा
(c) भाजपा, जदयू, वीआईपी, हम
(d) जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, भाजपा

80. अक्टूबर-नवम्बर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी पाँचवें चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए ?
(a) 52 (b) 71
(c) 51 (d) 78

81. अक्टूबर-नवम्बर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ ?
(a) 1 नवम्बर 2015 (b) 3 नवम्बर 2020
(c) 13 नवम्बर 2015 (d) 16 नवम्बर 2015

82. अक्टूबर-नवम्बर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधान सभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा-
(a) राष्ट्रीय जनता दल (b) जनता दल यूनाइटेड
(c) भारतीय जनता पार्टी (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

83. बिहार के वर्त्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे-
(a) विधानसभा के सदस्य (b) लोकसभा के सदस्य
(c) विधानपरिषद् के सदस्य (d) राज्यसभा के सदस्य

84. बिहार में किस वर्ष दो विधानसभा चुनाव हुए ?
(a) 1995 (b) 2000
(c) 2005 (d) 2015

85. अक्टूबर-नवम्बर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए ?
(a) 71 (b) 78
(c) 41 (d) 57

86. बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं ?
(a) 38 (b) 40
(c) 44 (d) 46
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

87. बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है-
(a) 243 (b) 248
(c) 325 (d) 235

88. बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी-
(a) 41348183 (b) 51318183
(c) 61348138 (d) 73647660

89. बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था ?
(a) 59.69% (b) 49.2%
(c) 47.91% (d) 49.91%

90. बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी-
(a) 2652 (b) 2199
(c) 3733 (d) 2361

91. बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2020 में मतदान प्रतिशत था-
(a) 56.93% (b) 54.27%
(c) 52.71% (d) 44.71%

92. 17वीं विधान सभा (2020) में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा है ?
(a) 10.7% (b) 8.2%
(c) 14.1% (d) 18.0%

93. 17वीं विद्यानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही-
(a) बलरामपुर (b) चकिया
(c) हिलसा (d) इस्लामपुर

राजनीति करंट अफेयर्स

➢ 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए सरकार ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई

भारत की केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की है। समिति का उद्देश्य पूरे देश में एक साथ लोकसभा (संसदीय) और विधानसभा चुनाव कराने की व्यवहार्यता की जांच करना है।

सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का आह्वान किया है, जिसका एजेंडा अज्ञात रहेगा। नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

हाल की सरकारी कार्रवाइयों ने आम चुनावों और कुछ राज्य चुनावों को आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ा दी है, जो मूल रूप से लोकसभा चुनाव के साथ मेल खाने वाले थे।

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में वर्तमान में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ चुनाव होने हैं।

प्रश्नः भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है?
(a) प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (b) राम नाथ कोविन्द
(c) अमित शाह (d) राहुल गांधी

उत्तर : राम नाथ कोविन्द

सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है और इसमें पांच बैठकें होंगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी.

➢ सत्र के एजेंडे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि इस विशेष सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव', समान नागरिक संहिता और महिला आरक्षण जैसे विधेयक पेश हो सकते हैं।

प्रश्नः वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं?
(a) प्रह्लाद जोशी (b) नरेंद्र मोदी
(c) अमित शाह (d) राजनाथ सिंह

उत्तर: (a) प्रल्हाद जोशी

आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- केंद्र ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में पूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। तीन विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को बदलने के लिए निर्धारित हैं; दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। नए बिल हैं:
- भारतीय न्याय संहिता, 2023: इस विधेयक का उद्देश्य आईपीसी को प्रतिस्थापित करना और नए अपराध और दंड पेश करना है, जैसे बलात्कार के लिए आजीवन कारावास, आतंकवाद के लिए मृत्युदंड और साइबर अपराधों के लिए कारावास।
- भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, 2023: इस विधेयक का उद्देश्य सीआरपीसी को बदलना और आपराधिक प्रक्रिया को सरल बनाना है, जैसे गवाहों की संख्या कम करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देना और मुकदमों में तेजी लाना।
- भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023: इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना और साक्ष्य के नियमों को अद्यतन करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डीएनए साक्ष्य और नार्को-विश्लेषण की अनुमति देना।
- विधेयकों को आगे की जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।

प्रश्न: कौन सा विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 को बदलने का प्रस्ताव करता है?

(a) भारतीय न्याय संहिता, 2023
(b) भारतीय न्याय प्रकृति संहिता, 2023
(c) भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a) भारतीय न्याय संहिता, 2023

- संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया, दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के साथ संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया। सत्र में मणिपुर हिंसा, पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर लगातार व्यवधान और विरोध प्रदर्शन देखा गया।
- सरकार और विपक्ष ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की अनुमति नहीं देने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया, जहां जातीय संघर्षों ने कई लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर मणिपुर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि इस कठिन समय में देश राज्य के साथ खड़ा है.
- सत्र में 22 विधेयक भी पारित हुए, जिनमें संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल है, जो राज्यों को अपने स्वयं के पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को बहाल करता है, और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021, जो पूर्वव्यापी कर प्रावधान को समाप्त करता है।

अनिश्चित काल के लिए स्थगन क्या है?

- अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना, पुनर्सभा के लिए कोई दिन बताए बिना। अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है

प्रश्न: पुन: संयोजन के लिए कोई दिन बताए बिना, संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?

(a) स्थगन प्रस्ताव
(b) अनिश्चित काल के लिए स्थगन
(c) सत्रावसान
(d) विघटन

उत्तर: (b) अनिश्चित काल के लिए स्थगन

- संसद ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया
- संसद ने 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में संशोधन करता है सेवा कर अधिनियम 2017.
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है।
- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जैसे शब्दों को परिभाषित करता है।
- ऑनलाइन गेमिंग से तात्पर्य इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की पेशकश से है, जिसमें मनी गेमिंग भी शामिल है।
- ऑनलाइन मनी गेमिंग में पैसे जीतने की उम्मीद के साथ खिलाड़ियों को आभासी डिजिटल संपत्तियों सहित पैसे का भुगतान करना या जमा करना शामिल होता है।
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 ऑनलाइन सूचना और डेटा एक्सेस या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को बाहर करता है।
- जीएसटी परिषद ने पिछले महीने हुई अपनी 50वीं बैठक के दौरान कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने की सिफारिश की थी।

प्रश्न: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 क्या परिभाषित करता है?

(a) कृषि उत्पादों की परिभाषाएँ
(b) निर्यात और आयात शुल्क की परिभाषाएँ
(c) ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की अभिव्यक्तियाँ
(d) ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए विनियम

उत्तर: (c) ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की अभिव्यक्तियाँ

- लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त 2023 को लोकसभा में गिर गया।
- 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद ध्वनि मत से एनडीए की आसान जीत।
- विपक्ष ने सरकार पर किसानों की परेशानी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में वादों पर विफल रहने का आरोप लगाया।
- सरकार बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और सामाजिक कल्याण में उपलब्धियों का बचाव करती है।
- प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लिए समर्थन और स्थिति से निपटने के प्रयासों का आश्वासन दिया।
- प्रस्ताव का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, राजद, एनसीपी, आप, सीपीआई (एम), सीपीआई, एआईएमआईएम और डीएमके शामिल हैं।
- प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों में बीजेपी, शिवसेना, जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआरसीपी शामिल हैं।
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं और उन्हें गले लगाकर हलचल मचाते हैं.
- प्रधान मंत्री ने विपक्ष पर झूठ और भय फैलाने, विकास के लिए दृष्टिकोण की कमी का आरोप लगाकर और भारत में कल्याण और प्रगति के लिए अपनी सरकार के काम पर जोर देकर जवाब दिया।

प्रश्न: लोकसभा में एनडीए ने अविश्वास प्रस्ताव को कैसे हरा दिया?

(a) ध्वनि मत से (b) मत विभाजन द्वारा
(c) वॉकआउट द्वारा (d) गुप्त मतदान द्वारा

उत्तर : (a) ध्वनि मत से

- भारतीय संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया
- 9 अगस्त, 2023 को, भारतीय संसद ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी के साथ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पारित किया।
- यह विधेयक व्यक्तियों के अपने डेटा की सुरक्षा के अधिकार और डेटा प्रोसेसिंग की वैध आवश्यकता का सम्मान करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने पर केंद्रित है।
- व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत सहमति के आधार पर और विशिष्ट वैध उद्देश्यों के लिए संसाधित किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों को संभालने और जुर्माना लगाने के लिए विधेयक के तहत भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- उल्लंघनों के लिए दंड प्रकृति, गंभीरता, अवधि और प्रभावित व्यक्तिगत डेटा के प्रकार जैसे उल्लंघन कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- यदि पहले से सहमति हो तो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को सही करने, पूर्ण करने, अद्यतन करने और मिटाने का अधिकार है।
- यह विधेयक हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप निकला है और इसमें भंडारण सीमा, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
- डेटा संरक्षण बोर्ड स्वतंत्र होगा और इसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- विधेयक समावेशी भाषा ("वह" और "उसका" के बजाय "वह" और "उसका") का उपयोग करता है।
- विधेयक की भाषा आम जनता को समझने लायक बनाई गई है। यह विधेयक आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर नहीं करता है।

प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 का मुख्य फोकस क्या है?

(a) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करना
(b) डिजिटल सेवाओं तक नि:शुल्क पहुंच सुनिश्चित करना
(c) व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करना
(d) डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देना

उत्तर: (c) व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना और वैध डेटा प्रोसेसिंग को सक्षम करना

- संसद ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक ख्र 2023 पारित किया
- अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक ख्र 2023 8 अगस्त 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया है। अंतर-सेवा संगठन का गठन तीन सेवाओं के बीच एकीकृत कामकाज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। विधेयक का उद्देश्य सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना और मनोबल बढ़ाना है।
- यह विधेयक अंतर-सेवा संगठनों के ऑफिसर-इन-कमांड को उनकी सेवा की परवाह किए बिना, उनके अधीन सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सेना, नौसेना और वायु सेना के नियमित कर्मियों के साथ-साथ अंतर-सेवा संगठनों से जुड़े अन्य बलों के व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
- केंद्र सरकार तीन सेवाओं में से कम से कम दो के कर्मियों को शामिल करते हुए अंतर-सेवा संगठन स्थापित कर सकती है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।
- अंतर-सेवा संगठनों के भीतर सेवा में भेदभाव किए बिना समय पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाइयों की वकालत की जाती है।
- यह विधेयक प्रभावी आदेश, नियंत्रण और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को बढ़ी हुई अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।

प्रश्न: अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है?

(a) अंतर-सेवा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना
(b) सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना
(c) सैन्य कर्मियों की भर्ती का विस्तार
(d) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

उत्तर: (b) सशस्त्र बलों में अनुशासन को मजबूत करना

- संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया
- संसद ने 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया है।
- राज्यसभा में वोटिंग के जरिए मंजूरी दी गई, जिसमें 131 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और 102 सांसदों ने इसका विरोध किया।
- यह विधेयक एक सप्ताह पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है।
- विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करना है।
- यह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शासन से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार देता है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य, नियम और सेवा शर्तें जैसे मामले शामिल हैं।
- विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की अवधारणा का परिचय देता है।
- प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल हैं।
- प्राधिकरण की जिम्मेदारियों में अधिकारियों से जुड़े स्थानांतरण, पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मुद्दों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें करना शामिल है।
- केंद्र ने इससे पहले इसी साल मई में इस विषय पर एक अध्यादेश जारी किया था.

प्रश्न: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) दिल्ली में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना करना
(b) भारतीय संविधान में संशोधन करना
(c) दिल्ली के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना
(d) दिल्ली में स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना

उत्तर: (c) दिल्ली के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल
- लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त 2023 को भारतीय संसद के निचले सदन में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है।
- यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद आया है।
- राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं और केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इस साल की शुरुआत में, मार्च में, दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- अपनी लोकसभा सदस्यता की बहाली के बाद, राहुल गांधी तुरंत संसद पहुंचे और संसद भवन परिसर के भीतर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रश्न: इस वर्ष की शुरुआत में राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य क्यों घोषित किया गया?

(a) वह भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल था।
(b) उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया।
(c) उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
(d) उन्होंने संसदीय नैतिकता और नियमों का उल्लंघन किया।

उत्तर : (b) उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया।

- कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को तीसरा विस्तार मिला
- झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा एक और साल के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर बने रहेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक आदेश जारी कर बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 अगस्त 2024 तक उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह तीसरी बार है जब श्री गौबा को इस पद पर विस्तार दिया गया है।
- भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठतम सिविल सेवक है। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं जिन्होंने 30 अगस्त 2019 को यह पद संभाला था।

प्रश्न: भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं?

(a) अजीत डोभाल (b) राजीव गौबा
(c) संजय कुमार मिश्रा (d) तपन डेका

उत्तर: (b) राजीव गौबा

- संसद ने निजी क्षेत्र के अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया
- संसद ने 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
- यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- विधेयक विशेष रूप से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस पेश करता है, जिनका पता लगाना कठिन और महंगा है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज और हीरे शामिल हैं।
- प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना है।
- विधेयक 12 परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिजों को हटाता है, जो पहले सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित थे। इनकी खोज और खनन अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला रहेगा।
- विधेयक केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंसों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देता है।
- संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और कीमती और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- इस विधेयक को खनन क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जाता है और इसका उद्देश्य उद्योग में अधिक पारदर्शिता लाना है।

प्रश्न: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) खनन क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना
(b) सरकारी संस्थाओं को गहरे खनिजों के खनन के लिए विशेष अधिकार की अनुमति देना
(c) महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
(d) परमाणु खनिजों को सूची से हटाना और खनिजों की खोज को सीमित करना

उत्तर: (c) महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- भारतीय संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक 2023 के लिए भारतीय संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और 11 अगस्त तक चलेगा। भारतीय संसद का मानसून सत्र हर साल आयोजित होने वाले तीन सत्रों में से एक है। अन्य दो बजट सत्र (फरवरी से मई) और शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर) हैं।
- इस सत्र के दौरान सरकार द्वारा 31 विधेयक लाने की उम्मीद है. विपक्षी दलों के मणिपुर हिंसा, रेलवे सुरक्षा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भारत-चीन सीमा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और व्यापार संतुलन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा सत्र भारतीय संसद के तीन सत्रों में से एक नहीं है?

(a) मानसून सत्र (b) शीतकालीन सत्र
(c) वसंत सत्र (d) बजट सत्र

उत्तर: (c) वसंत सत्र

- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह 17 से 21 अप्रैल 2023 तक। पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाएगा।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और नई दिल्ली में 'पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-पुरस्कार समारोह' में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगी।
- सप्ताह के उत्सव के दौरान "पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव" की थीम पर आधारित विषयगत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
- श्रृंखला के तहत, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और 2047 के लिए आगे की राह के तहत नौ विषयों को कवर करने वाले पांच राष्ट्रीय सम्मेलन सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित किए जाएंगे।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रश्न: पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कब मनाएगा?

(a) 21 से 24 अप्रैल (b) 22 से 28 अप्रैल
(c) 17 से 21 अप्रैल (d) 15 से 19 मार्च

उत्तर: (c) 17 से 21 अप्रैल

- नया डेटा संरक्षण विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एक नया डेटा संरक्षण बिल तैयार है और इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।
- अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि विधेयक तैयार है।
- जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की बेंच ने सबमिशन पर ध्यान दिया।
- मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके क्योंकि न्यायमूर्ति जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- मामले को अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि अदालत को अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए।
- दीवान कहते हैं कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे फिर से कुछ समितियों को भेजा जा सकता है।

प्रश्न: वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है ?

(a) आर वेंकटरमणि (b) सोली जहांगीर सोराबजी
(c) मुकुल रोहतगी (d) डीवाई चंद्रचूड़

उत्तर: (a) आर वेंकटरमणि

- महिला अधिकारिता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत दूसरी ळ20 एम्पॉवर बैठक की मेजबानी करेगा
- दूसरी G-20 एम्पॉवर बैठक 4-6 अप्रैल, 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित की जाएगी।
- बैठक का विषय "महिला अधिकारिता: समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत-जीत" है।
- 4 अप्रैल को साइड इवेंट्स में पैनल डिस्कशन के रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाएगा।
- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई 5 अप्रैल को उद्घाटन पूर्ण सत्र में भाग लेंगे।
- 6 अप्रैल को समापन पूर्ण सत्र प्रमुख परिणामों की पहचान करने और आम सहमति के बिंदुओं पर ळ20 म्डच्व्म्त प्राथमिकताओं में कार्रवाई स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- विभिन्न सत्रों में होने वाली चर्चाएँ ळ20 एम्पॉवर की विज्ञप्ति में प्रतिबिंबित होंगी और ळ20 नेताओं को सिफारिशों के रूप में प्रदान की जाएंगी।
- G-20 एम्पॉवर G-20 बिजनेस लीडर्स और सरकारों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है।
- G-20 EMPOWER की स्थापना बैठक 11-12 फरवरी को आगरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी।

- दूसरी एम्पॉवर बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और क्यूरेट की गई एक प्रदर्शनी होगी, जिसमें चाय, कॉफी, मसालों और कॉयर की खेती और उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व वाले एफपीओ के काम और स्वदेशी खिलौने, हथकरघा और हस्तशिल्प तैयार किए गए हैं। महिलाओं के साथ-साथ आयुर्वेदिक और वेलनेस उत्पादों द्वारा।
- शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक झलक पेश करेंगे।

प्रश्न: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की दूसरी ळ20 म्डच्च्म्ट बैठक का विषय क्या है?

(a) महिला अधिकारिता: समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत-जीत

(b) निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व और अधिकारिता में तेजी लाना

(c) महिलाओं को सशक्त बनाकर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना: 25 × 25 ब्रिसबेन लक्ष्यों की ओर

(d) महिला अधिकारिता एक आर्थिक अनिवार्यता है

उत्तर: (a) महिला अधिकारिता: समानता और अर्थव्यवस्था के लिए जीत-जीत।

- "चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों की घोषणा की"।
- कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई, 2023 को होगा और मतगणना 13 मई, 2023 को होगी।
- चुनाव आयोग कर्नाटक में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने युवा मतदाताओं, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों और कमजोर आदिवासी समूहों पर विशेष ध्यान दिया है।
- चुनाव के लिए राजपत्रित अधिसूचना 13 अप्रैल, 2023 को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल, 2023 है।
- कर्नाटक में कुल 58,282 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 24,063 केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों में 34,219 मतदान केंद्र हैं।
- कर्नाटक में मतदाताओं की कुल संख्या 5.21 करोड़ है, जिनमें से 2.62 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 2.59 महिला मतदाता हैं। राज्य में पहली बार मतदान करने वालों की संख्या नौ लाख से अधिक है।
- भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 80 सीटें मिलीं और जेडीएस ने 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में 37 सीटें हासिल कीं।

प्रश्न: 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी है?

(a) 58,263 (b) 24,063

(c) 34,219 (d) 58,282

उत्तर: (d) 58,282

- कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है।
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई।
- अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दी ताकि वह इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
- राहुल को 2019 के उस मामले में मानहानि का दोषी पाया गया था, जिसमें उन्होंने 'मोदी सरनेम' को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
- इस फैसले के बाद वायनाड संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जनप्रतिनिधित्व कानून-1951) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हाल ही में इस कानून के तहत आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
- विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 : नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा

नागालैंड :

- नागालैंड विधानसभा चुनाव मतदान 27 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था और इस बार कुल मतदान प्रतिशत 83. 63% था
- विधानसभा के परिणाम 2 मार्च 2023 को घोषित किए गए थे। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा में बहुमत हासिल कर रहे थे। कुल 60 विधानसभा सीटों में से एनडीपीपी ने 25 और बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की.
- नागालैंड में पहली बार किसी महिला ने विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। एनडीपीपी के हेकानी जाखलू ने दीमापुर से जीत दर्ज की है. 1963 में नागालैंड बनने के बाद से यहां कोई महिला विधायक नहीं थी।
- 2018 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से एनडीपीपी ने 18 सीटों पर और बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी. नागालैंड में 2003 तक कांग्रेस का शासन था, लेकिन मौजूदा विधानसभा में उसका कोई विधायक नहीं है।

Nagaland Assembly Election Result 2023%

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party	12	0	12
Independent	4	0	4
Janata Dal (United)	1	0	1
Lok Janshakti Party(Ram Vilas)	2	0	2
Naga Peoples Front	2	0	2
National Peoples Party	5	0	5
Nationalist Congress Party	7	0	7
Nationalist Democratic Progressive Party	25	0	25
Republican Party of India (Athawale)	2	0	2
Total	60	0	60

मेघालय :

मेघालय की सभी 59 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं.

- चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 26 सीटों पर जीत हासिल की है.
- यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11, बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 5 और टीएमसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है.
- कोनराड संगमा मेघालय के 12वें और नए वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।

Party	Won	Leading	Total
All India Trinamool Congress	5	0	5
Bharatiya Janata Party	2	0	2
Hill State People*s Democratic Party	2	0	2
Independent	2	0	2
Indian National Congress	5	0	5
National Peoples Party	26	0	26
Peoples Democratic Front	2	0	2
United Democratic Party	11	0	11
Voice of the People Party	4	0	4
Total	59	0	59

त्रिपुरा :

- चुनाव आयोग के मुताबिक, त्रिपुरा की सभी 60 सीटों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं।
- बीजेपी को 32 सीटों पर जीत मिली है, जबकि टिपरा मोथा पार्टी को 13 सीटें मिली हैं.
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 3, इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को 1 सीट मिली थी।
- माणिक साहा त्रिपुरा के 11वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं।

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party	3	20	32
Communist Party of India (Marxist)	11	0	11
Indian National Congress	3	0	3
Indigenous Peoples Front of Tripura	1	0	1
Tipra Motha Party	13	0	13
Total	60	0	60

- आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबेरॉय दिल्ली के एकीकृत नगर निगम की पहली मेयर चुनी गईं।
- आम आदमी पार्टी की नेता शेली ओबेरॉय को 22 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेयर के रूप में चुना गया।
- शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराकर 150 वोट हासिल किए।
- AAP उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल बीजेपी के कमल बागरी को 31 मतों के अंतर से हराकर दिल्ली के नए डिप्टी मेयर चुने गए। इकबाल को 147 और बागरी के 116 वोट मिले।
- सुश्री शैली ओबेरॉय, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षिका, दिल्ली के एकीकृत नगर निगम की पहली मेयर हैं।
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। 75 वर्षीय दिग्गज राजनेता कुछ समय से बीमार थे और उन्होंने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
- शरद यादव सत्तर के दशक के छात्र नेता थे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया।
- अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सांसद और मंत्री के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और वे डॉ. लोहिया के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए।
- शरद यादव ने 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और 1989 में वीपी सिंह सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया।
- वे तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे, वे सात बार लोकसभा के लिए चुने गए।
- वह बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन खत्म करने और भाजपा से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ।
- 2018 में, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लॉन्च की, लेकिन दो साल बाद लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल में इसका विलय कर दिया।

लोकसभा ने पारित किया फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023

- लोकसभा ने सोमवार को फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया।
- विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिनियमों के तहत पंजीकृत फार्मासिस्टों की स्थिति के संबंध में अस्पष्टता को दूर करना है।
- जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत किसी भी व्यक्ति को फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत माना जाएगा।
- निचले सदन में यह विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

लोकसभा ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

- लोकसभा ने तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया।
- विधेयक 2005 के तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करता है।
- व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संशोधन कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा देते हैं।

- यह विधेयक अप्रैल 2023 में लाया गया था और बाद में इसे स्थायी समिति को भेजा गया था।
- परामर्श के बाद स्थायी समिति से 56 सुझाव प्राप्त हुए।

लोकसभा ने पारित किया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

- लोकसभा ने व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 पारित कर दिया है।
- विधेयक में मानदंडों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर अधिकतम 250 करोड़ रुपये और न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
- विधेयक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का प्रावधान इस तरीके से करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।

राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया

- राज्यसभा ने एकल अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के माध्यम से कानूनी पेशे को विनियमित करने के लिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया।
- इसका उद्देश्य ष्दलालोंष् को लक्षित करना और उन्हें अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोकना है।
- कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त कर दिया जाएगा, और इसके प्रावधानों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में शामिल किया जाएगा।
- विधेयक में 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है।

संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास विधेयक 2023 पारित किया

- राज्यसभा ने आज अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया।
- यह अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (श्व्वडक्त अधिनियमश्) में संशोधन करना चाहता है।
- अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकारों के आवंटन की विधि के रूप में नीलामी शुरू करके बड़ा सुधार लाएगा।

राज्यसभा ने जन विश्वास संशोधन विधेयक 2023 पारित किया

- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 27 जून 2023 को लोकसभा में और 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया था।
- विधेयक में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में अपराध के अनुरूप जुर्माने और दंड में व्यावहारिक संशोधन जैसे उपायों का प्रस्ताव है।

संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया

- राज्यसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।
- संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया।
- विधेयक 28.07.2023 को लोकसभा द्वारा और राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के साथ पारित किया गया था।
- खनिज क्षेत्र में कई सुधार लाने के लिए डडक्त अधिनियम, 1957 को 2015 में संशोधित किया गया था।

राज्यसभा ने मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित किया

- राज्यसभा ने मंगलवार को मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित कर दिया, जो मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए अधिकतम समय को आधा करके 180 दिन कर देता है।
- विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
- विधेयक प्रक्रिया को एक समयबद्ध तंत्र बनाता है जो पार्टियों के लिए समय और धन बचाता है।
- विधेयक मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक बनाता है।

संसद ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया August 1, 2023

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 31 जुलाई 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
- विधेयक 20 जुलाई 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और चर्चा के बाद पारित हो गया।
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में अंतिम संशोधन 1984 में किया गया था।
- इस विधेयक का उद्देश्य श्पाइरेसीश के खतरे पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना है।
- प्रावधानों में 3 महीने से 3 साल की कैद और 3 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

लोकसभा ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी विधेयक पारित किया

- लोकसभा ने दो विधेयक पारित किए हैं - राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग विधेयक और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक।
- इस विधेयक का उद्देश्य भारत में नर्सिंग शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है।
- यह विधेयक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (NNMC) की स्थापना करेगा और 1947 के भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम को निरस्त करेगा।
- राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भारत में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने का प्रयास करता है।

राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफी (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया

- सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है।
- विधेयक इंटरनेट पर अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण द्वारा फिल्म चोरी के मुद्दे को संबोधित करता है।
- विधेयक फिल्म को टेलीविजन और अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाणपत्र के साथ मंजूरी देने का अधिकार देता है।

लोकसभा ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पारित किया

- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक-2023, 26 जुलाई 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
- यह विधेयक देश की सीमाओं के 100 किमी के भीतर की भूमि को संरक्षण कानूनों से छूट देता है।
- यह विधेयक वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति देता है।
- विधेयक का उद्देश्य कृषि-वानिकी को बढ़ावा देना है और कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देना है।

दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग पर केंद्र ने जारी किया अध्यादेश

- केंद्र ने दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मई को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया।
- प्राधिकरण में मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ-साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) बिल 2023 पेश करेगी सरकार April 20, 2023

- भारत सरकार ने फिल्म उद्योग में पायरेसी से निपटने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 पेश करने का फैसला किया है।
- विधेयक में समुद्री डकैती से संबंधित अपराधों के लिए कारावास और भारी जुर्माने सहित सख्त दंड का प्रस्ताव है।
- इसका उद्देश्य सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना और उनकी प्रदर्शनी और वितरण को विनियमित करना भी है।
- AAP को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, TMC, CPI, NCP ने खोया राष्ट्रीय पार्टी का टैग
- भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया।
- इसने तृणमूल कांग्रेस (TMC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया।
- द वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को मेघालय में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली।

लोकसभा ने पारित किया प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

- 29 मार्च 2023 को लोकसभा ने कड़े अनुपालन के लिए प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया।
- यह एंटीट्रस्ट रेगुलेटर को दोषी फर्मों के वैश्विक कारोबार पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है।
- इसमें कार्टेलाइजेशन में सहयोग करने वाली संस्थाओं के लिए जुर्माने के दायरे का विस्तार करना भी शामिल है।
- 16 अगस्त, 2022 को इसे वित्त पर संसदीय समिति को भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति के बारे में सुनाया फैसला March 3, 2023

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।
- जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में एक संविधान पीठ ने कहा, इस पैनल को तब तक लागू किया जाएगा जब तक कि इस संबंध में एक कानून संसद द्वारा नहीं पारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित February 28, 2023

- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 फरवरी 2023 को पारित किया गया था।
- किसानों या गुड़ पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन खांडसारी इकाई से 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से नियामक शुल्क लिया जाएगा।
- विधानसभा में पूर्व विधायकों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 के दायरे का विस्तार किया

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में निहित मौलिक अधिकार न केवल राज्य और इसकी इकाइयों बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी लागू किए जा सकते हैं।
- यानी अब सिर्फ राज्य ही नहीं आम नागरिक के खिलाफ भी इन अनुच्छेदों का उपयोग किया जा सकता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होता है।

●●●